

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-1  
संख्या: 1689/VII-1/80-ख/2016  
देहरादून:दिनांक: 28 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1585/80-ख/2016 दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं० 7 के प्रावधानानुसार उप खनिज की निकासी हेतु निगमों तथा निजी भूमि में निम्नानुसार दरों से शुल्क निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

1. रायल्टी
  2. स्टाम्प शुल्क रायल्टी का 2 प्रतिशत
  3. रिवर ट्रेनिंग एवं सड़क विकास शुल्क रायल्टी का 15 प्रतिशत (उक्त 15 प्रतिशत धनराशि में 50 प्रतिशत रिवर ट्रेनिंग तथा 50 प्रतिशत सड़क विकास हेतु उपयोग होगा)
  4. विकास शुल्क रायल्टी का 10 प्रतिशत
  5. क्षतिपूर्ति रायल्टी का 15 प्रतिशत
  6. निगम/निजी भूमिधर के पट्टाधारकों के द्वारा किया गया खर्च यथा पर्यावरणीय अनुमति खर्च, सीमांकन खर्च, आवेदन खर्च आदि रायल्टी का 1 प्रतिशत।
2. उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1585/80-ख/2016 दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 के बिन्दु सं० 6 को विलोपित करते हुए शुल्क निर्धारण संबंधी बिन्दु सं० 3, 4 एवं 5 के संबंध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा तदनुसार धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष धनराशि जिला खनिज संस्थान न्यास (District Mineral Foundation) में जमा की जायेगी।
3. उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रदत्त निर्देशानुसार संशोधित धनराशि जमा की जायेगी।
4. उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शैलेश बगौली  
सचिव

संख्या: 1689 (1)/VII-1/80-ख/2016 तददिनांक।

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० खनन एवं परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सर्तकता इकाई, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
10. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
11. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(राजेन्द्र सिंह पतियाल)  
उप सचिव